उतर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू हो :– मुख्यमंत्री

पटना 15 मई, 2016 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मिशन यू0पी0 के दौरान चारबाग रविन्द्रालय से शराबबंदी के अभियान का आगाज करते हुये कहा कि उतर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू हो। उन्होंने कहा कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो सकता है तो उतर प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं लागू हो सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 9 जुलाई 2015 को जीविका के कार्यक्रम में शराबबंदी की मॉग की थी तो हमने कहा था कि अगली बार सता में आये तो शराबबंदी लागू करेंगे। सता में आने के बाद पहले चरण में 1 अप्रैल 2016 से देशी शराबबंदी लागू कर दी गयी। शहरों में विदेशी शराब की दुकान खुलने पर महिलाओं ने जमकर विरोध किया। शराब की दुकान खुलने नहीं दिया। समाज में शराबबंदी के खिलाफ वातावरण बना। शराबबंदी के जन समर्थन को देखते हुये 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू की गयी। कड़े कानून बनाये गये। 1915 के कानून में संशोधन हुआ। एक संशोधन यह भी हुआ कि अगर कोई नाजायज शराब बनायेगा, बेचेगा तो उस शराब से किसी की मृत्यु होती है तो शराब बनाने वाले एवं बेचने वाले को मृत्युदंड की सजा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पोषण की रक्षा करे एवं पूर्ण मद्य निषेध की ओर बढ़ने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में कहा है कि शराब का व्यापार करना और शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिहार में शराबबंदी लागू की गयी है तो दूसरी तरफ उतर प्रदेश के सीमा पर बिहार के शराबबंदी का फायदा उठाकर राजस्व की उगाही की जा रही है। शराबबंदी में उतर प्रदेश का सहयोग नहीं। उतर प्रदेश बॉडर पर अधिक दर पर शराब दुकान की बंदोवस्ती की जा रही है। देवरिया जिला में जहॉ शराब की दुकान 6 लाख 32 हजार रूपये में बंदोवस्ती होती थी, उसे बढ़ाकर तीस लाख से अधिक कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी से जनता की गाढ़ी कमाई अच्छे काम में खर्च हो रहा है। इससे परिवार की स्थिति सुधरेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, लोग कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। व्यापार बढ़ेगा तो उस पर टैक्स की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमें शराब से पॉच हजार करोड़ रूपये नहीं चाहिये, यह इलिगल ट्रेड है। उन्होंने कहा कि हर जगह कोलाहल एवं हंगामा आये दिन की घटना थी। आज गॉव एवं शहरों के वातावरण में पूर्ण शांति है। झगड़ा, कोलाहल, हंगामा एवं मारपीट अब शाम होते ही नहीं होती है। पूर्णिया में लोगों ने बताया कि जो लोग पहले शराब पीते थे, अब शराब पीना बंद हुआ तो पत्नी को खाना बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण मद्य निषेध को संकल्प के साथ सरकार ने शराबबंदी की इस मुहिम को सहयोग प्राप्त कर एक जन आन्दोलन का रूप दिया। 31 मार्च 2016 तक स्कूली बच्चों ने एक करोड़ 19 लाख शपथ पत्र अपने अभिभावकों के द्वारा भरवाकर जमा किया कि न शराब पीयेंगे और न किसी को शराब पीने के लिये बाध्य करेंगे। नौ लाख दीवारों पर नारे लिखे गये, साढ़े आठ हजार जगहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यह शराबबंदी का असाधारण पैगाम था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में सभी विधायकों ने शपथ लिया कि न शराब पीयेंगे, न किसी को शराब पीने के लिये बाध्य करेंगे। मुख्य सचिव से लेकर कर्मचारी तक, डी0जी0पी0 से लेकर सिपाही तक संकल्प लिया कि न शराब पीयेंगे और न पीने देंगे। सभी थाना प्रभारी से यह लिखकर लिया गया है कि हमारे थाना क्षेत्र में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शराबबंदी का अभियान चल रहा है। शराब से राज्य सरकार को जो आमदनी होती है, उससे कहीं ज्यादा आमदनी शराबबंदी से लोगों को होगा।

उन्होंने कहा कि गुजरात में शराबबंदी लागू है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शराबबंदी के पक्षधर हैं। उन्हें शराबबंदी के संबंध में नीति स्पष्ट करनी चाहिये। बी0जे0पी0 शासित राज्यों में शराबबंदी लागू हो। उन्होंने कहा कि उतर प्रदेश में शराब से 18 हजार या 19 हजार करोड़ रूपये की आमदनी होती है। वहीं तमिलनाडू में शराब से तीस हजार करोड़ रूपये की आमदनी है। तमिलनाडू में सभी दलों के लोगों ने कहा है कि सता में आने पर शराबबंदी लागू करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उतर प्रदेश में शराबबंदी लागू करवाने में यहॉ की महिलायें कामयाब होगी। उतर प्रदेश की महिला संगठनों को शराबबंदी का अभियान चलाने के लिये धन्यवाद देता हूॅ। उन्होंने कहा कि शराब का व्यापारी हमें काला झंडा दिखायेंगे। वे दिखायें काला झंडा, हम किसी को परेशान करने के लिये यहॉ नहीं आये हैं। शराब मुक्त समाज बनाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। महिलायें शराबबंदी अभियान को जोर–शोर से चलायें। उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव भी उतर प्रदेश में शराबबंदी लागू करें। शराबबंदी लागू करने से घबरायें नहीं मुख्यमंत्री। शराबबंदी से अपराध में कमी आयी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो दो घटनायें घटी है, हमलोग इस घटना से बहुत दुखी हैं। इस घटना के पीछे जिस व्यक्ति का भी हाथ है, वे बख्शे नहीं जायेंगे। उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने शराबबंदी के लिये आयी उतराखण्ड की महिलाओं से भी मुलाकात की।

******